न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र:–145 / 2016 दायर दिनांक: 04.10.2016

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. कालूलाल आत्मज बाबूलाल जाति महाजन निवासी नैनवॉ तह0 नैनवां जिला बून्दी।
2. सुरेश कुमार आत्मज बाबूलाल जाति महाजन निवासी नैनवॉ तह0 नैनवां जिला बून्दी।

–वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी।

–प्रतिवादी

<u>वाद–पत्र – अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थितिः–

वादीगण के अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 03.11.2020

संक्षेप में वाद–पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवां प्रथम में वादीगण के एवं बहिनों की खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा संख्या 5313 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 5314 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 5315 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि है इस भूमि पर आने जाने हेतु 15 फुट चौडा रास्वा बना हुआ है यह रास्ता वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है। यह कि वादीगण की खाते की जमीन पर आने जाने हेतु गाडी बैल ट्रेक्टर ट्रोली ले जाने हेतु नैनवां–बून्दी रोड से उत्तर दिशा में कॉलेज की बाउण्ड्रीवाल तथा देवलाल चांदना के मकान के मध्य रास्ता जा रहा है यह रास्ता आगे जाकर देवलाल चांदना के मकान के सामने से पूर्व दिशा में जा रहा है फिर वहां से खाल के सहारे सहारे होता हुआ आगे पूर्व दिशा में प्रार्थी के खाते के खेत खसरा संख्या 5990 / 5316 पर पहुँचता है इस रास्ते की नक्शा में तरमीम करने से किसी को कोई हानि नहीं पहुँच रही है। वादीगण भूमि की किमत जो भूमि रास्ते में आयेगी जमा कराने को तैयार है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वाद पत्र में संलग्न नक्शा में प्रस्तावित लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को समस्त राजस्व अभिलेखो में दर्ज करवाये एवं उक्त रास्ते में कोई हस्तक्षेप नही करे, रास्तें में बाधा उत्पन्न नहीं करे, रास्ते को खुर्द–बुर्द नहीं करे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करवाये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये है।

तहसीलदार नैनवॉ से वादीगण को रास्ता दिये जाने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 5806 / 5316 रकबा 40 बीघा 18 बिस्वा भूमि में स्थित है, जोकि उक्त भूमि राजकार्य हेतु आरक्षित है इसी भूमि में से रास्ते की लम्बाई 112 गठ्ठा व चौडाई 2 गठ्ठा होती है जिसमें 11 बिस्वा भूमि आती है।

हमने वाद–पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब वाद–पत्र एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट रास्ते बाबत का अवलोकन किया। वाद–पत्र पर बहस सुनी गई, प्रस्तुत वाद धारा 251 क आर. टी. एक्ट के तहत प्रार्थना [illegible] के रूप में सुना गया। तहसीलदार नैंनवां ने भी अपनी रिपोर्ट में रास्ता दिया जाना उपयुक्त माना है तथा [illegible] नक्शा ट्रेश में प्रस्तावित कर पेश किया है। अतः न्यायालय वादीगण को [illegible] पहुँचने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित समझता है। वादीगण का [illegible] उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 13:00:51 IST
Reason: SelfAttested

224

E/Feshla 2019

Scanned with CamScanner

ग्राम नैनवां प्रथम वादीगण की भूमि खसरा संख्या 5313 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 5314 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 5315 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 5806/5316 रकबा 40 बीघा 18 बिस्वा भूमि जो कि राजकार्य हेतु आरक्षित है, में से रास्ते की लम्बाई 112 गठ्ठा व चौडाई 2 गठ्ठा होती है जिसमें 11 बिस्वा भूमि आती है, को प्रस्तावित नक्शा ट्रेश के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते के नक्शा ट्रेश को परिशिष्ट–''क'' नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार डीएलसी दर का दुगुना प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैंनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर वादीगण का रास्ता बहाल करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 13:00:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner